

2026/68

खारीज
7.4.2026

फर्द अहकाम
(नियम 15)

आयालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
योगेश आदि बनाम कृष्ण आदि
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53,188 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 57 वर्ष 2026

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
02.02.2026	<p>वकील वादीगण द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 05.03.2026 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>कृष्ण आदि बनावली/PC माफ करे पत्रावली दिनांक 02.02.2026 पेश हो</p>	
5.8.2026 7.4.2026	<p>वकील वादी अशोक दुग्गर के पत्रावली - पत्र सिवाल फेरणी पेश करते पर पत्रावली को फेरणी के लिया गया। वकील वादी के निवेदन कि का छि काद-का शणे नही चलाना चाहते ही मौजूदा प्रियमी में खारीज करवाना चाहते हो शरत वाद-पत्र मौजूदा प्रियमी में खारीज किग लागू हो पत्रावली नरखर के अत की जाकर काड तकनीक तकनीक लागू करिखिल करवा हो</p>	<p>सुमित्रा देवी</p> <p>सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर</p> <p>पत्रावली</p>

